

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 30/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि.....(अ) .- केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2010-सीमा शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्या 140(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1976 की पहली सूची के शीर्ष संख्या 3706 या 8523 के अन्तर्गत आने वाले मीडिया पर मुद्रित या अभिलिखित गेमिंग कन्सोल्स पर उपयोग के लिए चलचित्र, संगीत, गेमिंग सॉफ्टवेयर को, जब उन्हें भारत में आयात किया जाता है, उन पर यथा उद्ग्रहणीय उतने सीमा शुल्क, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जितना वह उस सीमा शुल्क, जो उस समय उद्ग्रहणीय होगा, से अधिक है, से छूट प्राप्त प्रदान करती है, यदि उक्त माल का मूल्य उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित के योग के बराबर है, -

- (i) वाहक माध्यम की लागत; और
- (ii) वाहक माध्यम की बाबत उपगत धारा और बीमा प्रभार:

परंतु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात फुटकर विक्रय के लिए पूर्व पैक की गई रूप में आयातित चलचित्रों, संगीत या गेमिंग सॉफ्टवेयर को लागू नहीं होगी ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(फा. सं. 354/119/2017-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार